

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक 06.08.2022

थाना मांची पुलिस द्वारा गोवध अधिनियम से सम्बंधित 04 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार:-

थाना मांची पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 43/2022 धारा 201 भादवि व 3/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम 1955 से सम्बंधित 04 नफर अभियुक्तगण 01. शमशेर पुत्र स्वर्गीय भोला, 02. सलाउद्दीन पुत्र स्वर्गीय गुलाबुद्दीन, 03. रियासत पुत्र करमशाह, 04. सिरताज पुत्र स्वर्गीय भोला निवासीगण ग्राम महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बैल के वध में प्रयुक्त औजार बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।

गिरफ्तारी अभियुक्त-

01. शमशेर पुत्र स्वर्गीय भोला, निवासी ग्राम महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
02. सलाउद्दीन पुत्र स्वर्गीय गुलाबुद्दीन, निवासी ग्राम महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
03. रियासत पुत्र करमशाह, निवासी ग्राम महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
04. सिरताज पुत्र स्वर्गीय भोला, निवासी ग्राम महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण-

दो अदद चाकू एवं एक अदद बोगदा (गड़ासी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

01. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
02. उ0नि0 बृजनाथ सिंह यादव, चौकी प्रभारी महुली, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
03. हे0का0 रामाश्रय यादव, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
04. आरक्षी जयकिशन यादव, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।
05. आरक्षी सर्वेश कुमार, थाना मांची, जनपद सोनभद्र।